



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 15.06.2025

स्वाट टीम बागपत व थाना कोतवाली बागपत पुलिस की संयुक्त टीम ने चैकिंग के दौरान अन्तर्राज्यीय गिरोह के 04 अवैध शराब तस्करों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 47 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब चण्डीगढ मार्का व घटना में प्रयुक्त एक गाडी बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत स्वाट टीम बागपत व थाना कोतवाली बागपत पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा अन्तर्राज्यीय गिरोह के 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 47 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब चण्डीगढ मार्का तथा घटना में प्रयुक्त एक गाडी बरामद हुई है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1-अतुल पुत्र तेजवीर निवासी शिव मन्दिर कालोनी गली नं0 08 थाना नरेला दिल्ली 40 ।



2-अंकित पुत्र भगत सिंह निवासी गांव अकबरपुर बरौटा थाना कुंडली जनपद सोनीपत हरियाणा ।

3-अजीत पुत्र बलवान निवासी गांव जठेडी थाना राई जनपद सोनीपत हरियाणा ।

4-विकास पुत्र बलवीर निवासी अकबरपुर बरौटा थाना कुंडली जनपद सोनीपत हरियाणा ।

बरामदगी का विवरण-

- 44 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब चण्डीगढ मार्का LONDON PRIDE WHISKY
- 03 पेटी अवैध शराब IMPERIAL STYLE BLENDED WHISKY
- घटना में प्रयुक्त एक गाडी बिना नम्बर प्लेट ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री सूर्यदीप सिंह प्रभारी स्वाट बागपत मय टीम जनपद बागपत ।

2-उ0नि0 श्री विकास कुमार चौहान थाना कोतवाली बागपत

3-उ0नि0 श्री देवेन्द्र कुमार थाना कोतवाली बागपत

4-उ0नि0 श्री नकुल राठी थाना कोतवाली बागपत

5-उ0नि0 श्री सत्यम जंघाला थाना कोतवाली बागपत

6-है0का0 491 रामकुमार थाना कोतवाली बागपत

7-है0का0 339 राकेश कुमार थाना कोतवाली बागपत

8-का0 369 विशाल पंवार थाना कोतवाली बागपत

9-का0 846 नरेन्द्र कुमार थाना कोतवाली बागपत

10-का0 467 टिंकू अधाना थाना कोतवाली बागपत



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बिनौली

दिनांक 15.06.2025

थाना बिनौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 170/25 धारा 115(2)/109(1) BNS से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 13.06.2025 को थाना बिनौली पर वादी श्री विनय पुत्र ईश्वर निवासी ग्राम बडावद थाना बिनौली जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1.रितिक पुत्र सुभाष निवासी बडावद थाना बिनौली जनपद बागपत 2.नितीश पुत्र कृष्णपाल निवासी बडावद थाना बिनौली जनपद बागपत व 3.सौरभ निवासी गांव गुराना थाना बडौत जनपद बागपत द्वारा वादी के पुत्र सचिन के साथ मारपीट की गई व अभियुक्त रितिक द्वारा जान से मारने की नियत से पिस्टल से गोली मार दी, जिससे वादी का पुत्र गम्भीर रूप से घायल हो गया। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 170/25 धारा 115(2)/109(1) BNS पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वाँछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 170/25 धारा 115(2)/109(1) BNS में वाँछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस बरामद हुआ है ।

उपरोक्त अभियोग में बरामदगी के आधार पर धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट की वृद्धि कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

नोट- उपरोक्त अभियोग में थाना बिनौली पुलिस द्वारा दिनांक 14-06-2025 को 02 अभियुक्तों 1.नितीश पुत्र कृष्णपाल व 2.सौरभ पुत्र कृष्णपाल को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा चुका है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

रितिक पुत्र सुभाष निवासी बडावत थाना बिनौली जनपद बागपत

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री दुर्गेश कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत ।

2-है0का0 313 सत्यवीर थाना बिनौली जनपद बागपत ।

3-का0 966 नरेश सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत ।

